

5^श श्रेय

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बावजूद कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गयी अतः यह वाद-पत्र अदम परकी अदम हजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार की

जाकर नम्बर से नाम हो तथा दलील एकत्रित होकर दाखिल करनी है।